नि0 757-दो/09

श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल म0प्र0

प्र.क. ....

1— श्रीमती लीलाबाई पत्नी हरिसिंह
2— महेश पुत्र हरिसिंह
3— रमेश पुत्र हरिसिंह, सभी आयु व्यस्क
नि.गण—ग्राम कुरावर, तह0 नरसिंहगढ जिला राजगढ — निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा अपर आयुक्त,
भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 — उत्तरदाता

म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा 50 अतंर्गत

महोदय,

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 प्र.क. 278/अपील/2006—07 में पारित आदेश दि.05.05.09 से व्यथित होकर न्याय निर्णय बाबत निगरानी आवेदन प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि 30—35 वर्ष पूर्व ~~बिना~~ निर्मित निगरानीकर्ता का मकान ग्राम कुरावर ग्राम पंचायत कुरावर, जनपद पंचायत नरसिंहगढ पर है। यह मकान वार्ड क्र.18 में कुरावर पीपल रोड पर है। इसका अभिलेख ग्राम पंचायत कुरावर की सम्पत्ति कर पंजी अनुक्रमांक 1643 पर दर्ज है। पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर भी निगरानीकर्ता से लिया जाता है। इसकी पुष्टि कार्यालय ग्राम पंचायत कुरावर द्वारा जारी निगरानीकर्ता को प्रमाण पत्र के आधार पर जो उन्होने सम्पत्ति कर पंजी आधार पर जारी किया है, से भी हो रही है। अपने अभिलेख आधार पर ग्राम पंचायत कुरावर में विगत 20 वर्षो से मकान निर्मित स्पष्ट किया है। सम्पत्ति कर 2007—08 तक दिया गया है। कार्यालय ग्राम पंचायत कुरावर द्वारा सम्पति कर, प्रकाश कर,, एवं जलकर मकान का लिया जाता है।

2. उक्त आवास ग्रम कुरावर स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र.790 रकबा0.417है0 मे से 10 गुणित 8 वर्गमीटर पर निगरानीकर्ता क्र.1 के पति एवं 2 व 3 के पिता हरीसिंह द्वारा बनायां गया था।हरीसिंह अब जीवित नही है।

3. यह कि न्या0 अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में आत्माराम पिता धूलजी जाती खाती नि. कुरावर में एक आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्र.7/05 धारा 133 जा.फौ. मे पारित आदेश दि.27.02.06 के पालन में अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 757–दो/09 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–2–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह दास्त प्रकरण है। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं अपर आयुक्त के आदेश की छायाप्रति का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष म0प्र0 आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत शासकीय भूमि से अतिकमण पाये से उसे हटाने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक के पास भूमि से संबंधित किसी प्रकार के अभिलेख नहीं होने से अतिकमण होना सिद्ध माना है। विचारण न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अतः इस निगरानी में ग्राह्यता के प्रथमदृष्टया आधार नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	